(नियम 26)

2022/307

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री राजकुमार बंका पुत्र श्री कैलाश

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 45 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुझुनू	
21/9/22	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसने मलसीसर किराना स्टोर, के नाम से बस स्टेण्ड मलसीसर, झुन्झुनू में किराना स्टोर कर रखा है। जहां वह बाजार से सामान खरीदकर बेचान करता है। अनावेदक के यहां से बादाम लूज का सेम्पल लिया गया था। जिसे उसने बाजार से खरीदा था। अनावेदक अपने स्तर पर किसी प्रकार की मिलावट नही करता है, अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1384/एक्ट/2022/1408 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ बादाम (लूज) सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी मलसीसर किराना स्टोर पर बादाम (लूज) का बेचान करता है तथा स्टोर मालिक है। अनावेदक ने बाजार से बादाम खरीद का कोई बिल आदि प्रस्तुत नही किया है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ बादाम (लूज) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक राजकुमार बंका पुत्र श्री कैलाश मालिक मलसीसर किराना स्टोर, बस स्टेण्ड मलसीसर, झुन्झुनू को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (2) (II) का दोषी मा[illegible] [illegible] /- दो हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उ[illegible] सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरि[illegible] की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य [illegible] अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू को भिजवाई। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर झुझुनू	2 प्रतिलिपि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:27:48 IST
Reason: SelfAttested